भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1622

सोमवार, 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

चिकित्सा पर्यटन को प्रोत्साहित करना

1622. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में चिकित्सा पर्यटन को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान देश की यात्रा करने वाले विदेशी चिकित्सा पर्यटकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ख): चिकित्सा पर्यटन सहित पर्यटन का संवर्धन एवं विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है ।

देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यनीति तथा रोडमैप तैयार किया है । इस कार्यनीति में निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों को चिह्नित किया गया है :

i. निरोगता गंतव्य के रूप में भारत के लिए एक ब्रांड विकसित करना
ii. चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन के लिए ईको सिस्टम को सुदृढ़ बनाना
iii. ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) पोर्टल की स्थापना द्वारा डिजिटलीकरण को संभव बनाना
iv. मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए सुगमता में वृद्धि करना
v. निरोगता पर्यटन का संवर्धन करना
vi. शासन एवं संस्थागत कार्यढांचा

तथापि पर्यटन मंत्रालय वर्तमान में जारी अपने कार्यकलापों के एक भाग के रूप में देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के संवर्धन के लिए 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत महत्वपूर्ण एवं संभावित विदेशी बाजारों में वैश्विक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है । मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से भी चिकित्सा पर्यटन सहित विभिन्न थीमों के बारे में नियमित रूप से डिजिटल संवर्धन किया जाता है ।

भारत सरकार ने दिनांक 30.11.2016 को मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसरण में ई-पर्यटक वीजा योजना का उदारीकरण किया और ई-पर्यटक वीजा (ईटीवी) योजना का नाम बदलकर ई-वीजा योजना कर दिया गया और वर्तमान में ई-चिकित्सा वीजा और ई-चिकित्सा सहयोगी वीजा, ई-वीजा की उप श्रेणियां हैं ।

ई-चिकित्सा वीजा और ई-चिकित्सा सहयोगी वीजा के मामले में तीन बार प्रवेश की अनुमति है और प्रत्येक मामले के गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए मामला-दर-मामला आधार पर संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों (एफआरआरओ)/विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा 6 माह तक का समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है । चिकित्सा सहयोगी वीजा प्रधान ई-वीजा धारक के वीजा की वैधता के साथ ही समाप्त होगा ।

इसके अतिरिक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के संवर्धन के लिए अन्य मंत्रालयों और हितधारकों यथा अस्पतालों, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) सुविधाप्रदाताओं, बीमा कंपनियों, एनएबीएच आदि के साथ समन्वयन कर रहा है ।

(ग): वर्ष 2017 से 2021 के दौरान चिकित्सा के प्रयोजन से विदेशी पर्यटक आगमनों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	चिकित्सा के उद्देश्य से एफटीए (लाख में)
2017	4.95
2018	6.44
2019	6.97
2020	1.83
2021	3.04

स्रोत: आप्रवासन ब्यूरो

*****